राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर

ई मेलः—mrh.sap@gmail.com

क्रमांक 2365

दिनांक 3-5-2017

ई निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित बालक बालिकाओं के लिये निम्न सेवा के लिये मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है:—

क्र. सं	NIT सं	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत.	अमानत राशि	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउन लोड व जमा/अपलोड करने की अन्तिम दिनांक	ऑनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/2017-18	मानसिक विमंदित गृह जामडोली, जयपुर के भवन व परिसर की सफाई कराने का कार्य (जॉब बेसिस पर)	एक वर्ष	2400000	48000	22.05.2017 को 3 PM तक डाउनलोड एवं 4 PM तक अपलोड कराने की तिथि	दिनांक 23.05.2017 को 12 noon पर खोली जायेगी।	

निविदा संबंधित पूर्ण विवरण वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** व राज्य उपापन पोर्टल **SPPP.rajashthan.gov.in** तथा विभागीय वेबसाईड **sje.rajasthan.gov.in** ,पर देखा जा सकता है।

3/5/17

अधीक्षक
मानसिक विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली जयपुर

क्रमांक 2366-74

दिनांक 3-5-2017

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक क्षेत्रीय समाचार पत्र, एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिसका परिचालन 50,000 प्रतियां या उससे अधिक हो में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन जयपुर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक, जयपुर (शहर), जयपुर।
4. प्रबंधक आर.आई.एस.एल. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि http://eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
5. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाईड **sje.rajasthan. gov.in** ,अपलोड करवाने का श्रम करें।
6. प्रोग्रामर निदेशालय विशेष योग्यजन,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर एवं **SPPP.rajashthan.gov.in** पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
7. श्रीमान सहायक निदेशक/उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
8. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु कार्यालय **SJE/SAP**
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड

3/5/17

अधीक्षक
मानसिक विमदित बाल कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली जयपुर

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणी :– **निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में बेवसाइड पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूप से पालना करनी चाहिये ।**

निविदा शर्तो के अनुसार क्रय समिति के अधीन बढ़ाया जा सकता है।

1.निविदा भरने की प्रक्रिया – परिशिष्ठ "अ" एवं "ब" तथा निविदा की विस्तृत शर्तो के अनुसार भरी जावे। फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज में कोई त्रुटि पाई जावेगी तो विभाग को निविदा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

2.निविदा हेतु योग्यता – निविदा व्यक्ति, फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब स्वीकार नही किया जावेगा जबकि वे इसकी समस्त शर्तो को माननें के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगीं।

3.निविदादाताओं को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जिनको पूर्व में राजकीय सरकारी कार्यालयो विशेषकर चिकित्सालय भवनों में सफाई कार्य करने का दो वर्ष का निरन्तर संतोषप्रद सेवा अनुभव हो। संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। (केवल कार्यादेश मान्य नहीं होगें)

4. निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

   I. श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र
   II. ई.एस.आई. /पी.एफ. पंजीयन का प्रमाण पत्र
   III. सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र
   IV. बयाना राशि

5.व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

6.दरें – निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दो दोनो में लिखनी चाहियें। इसमें कोई त्रुटि एवं ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उस पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। शब्दों एवं अंकों में अंकित दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दर को अधिकृत मान कर गणना में शामिल किया जावेगा।

7.निविदा में दर अंकित करते समय PF/ESI/ST अलग से अंकित की जावे व इनकी राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे।

8.आपका स्थायी खाता (पेन कार्ड) एवं श्रम विभाग के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

9. अमानत राशि – निविदादाता द्वारा निविदा के साथ निविदा सूचना में अंकित अमानत राशि जमा करवाई जावेगी। अमानत राशि के बिना निविदा मान्य नहीं होगी। निविदादाता का अनुमानित लागत 2400000/– का 2 प्रतिशत 48000 अमानत राशि अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम देय बैंक

ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय तक अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामड़ोली में जमा करवानी होगी। बिना अमानत राशि जमा कराये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। नकद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी।

10. विधि मान्यताः निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से 3 माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।

12. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

13. असफल निविदादाता को बयाना राशि एक माह में (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

14. करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः—

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 1000/—रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जा सकेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें:—

(क) बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाक घर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ड़िफेंस सेविंग सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

v करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

15. बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगाः—

i जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को,यदि कोई हो निष्पादित नही करता हो।

iii जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो।

iv जब वह विहीत समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हों।

v यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्य निष्ठा भी संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

16. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलों में समपहत कर लिया जावेगाः–

i जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप कों समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस किया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

17. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प्स लगाने तथा प्रतिभूति राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को करारा भी एक निष्पादित स्टाम्प शुद्ध प्रति निःशुल्क प्रस्तुत की जावेगी।

18. ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

19. ठेके की अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी। कार्य के संतोषजनक पाया जाने पर पारस्परिक सहमति से अधिकतम 6 माह के लिये उन्ही दरो पर ठेका बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा।

20. कार्मिकों को विभाग द्वारा निधारित युनिफोर्म में आना होगा। महिला कार्मिको के लिए नीली प्लेन साडीं, नीला ब्लाऊंज अथवा नीली सलवार सूट तथा पुरूषों के लिए नीली पेन्ट एंव शर्ट अनिवार्य होगी। वस्त्रों पर फर्म एवं स्वयं के नाम का बेच लगाना अनिवार्य होगा। युनिफोर्म व बेज संवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

21. संवेंदक द्वारा स्वयं बायोमेट्रिक मशीन क्रय करनी होगी तथा उपलब्ध कराये गये कार्मिको की उपस्थिति कार्यालय के प्रभारी के पास उपलब्ध रजिस्टर/बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करानी होगी। संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व सफाई का कार्य करने वाले कार्मिको के निवास /स्थायी पते का पूर्ण विवरण मय फोटो प्रस्तुत करना होगा एवं अपने कार्मिको को पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नही दिया जायेगा। नियुक्त कार्मिको का पुलिस वेरिफिकेशन करा कर देना होगा। इस के अभाव में भुगतान देय नही होगा।

22. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में कोई त्रुटि/असत्यता पायी जाने पर निविदा को रदद करने का अधिकार निदेशक विशेष योग्यजन को होगा। (जो अधीक्षक की अनुशंषा किया जाने पर)

23. निविदा के साथ वांछित दस्तावेज/प्रमाण–पत्र निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

24. प्राप्त निविदाएं मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, केम्बे गोल्फ होटल के सामने, जामड़ोली, आगरा रोड़, जयपुर में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

25. तकनीकी/वित्तीय निविदा अलग–अलग फोल्ड़र में अपलोड़ की जावे। किसी भी रूप में एक फोल्ड़र में नहीं होवे।

26. निविदा में निविदा का अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाईल नं. तथा ई–मेल एड्रेस दिया जाना आवश्यक होगा।

27. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपनी सहमति के रूप में डिजिटल सिग्नेचर करने आवश्यक होगें।

28. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगें एवं सरकार के नियमानुसार श्रम कानून PF एवं ESI आदि नियमो की पालना सुनिश्चित की जावें। नियमानुसार PF नियोक्ताअशंदान व कर्मचारी अशंदान के भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, इस हेतु राज्य सरकार किसी भी तरह उत्तरदायी नही होगी। संवेदक इसी अनुसार अपनी दरें प्रस्तुत करें।

29. **भुगतान**:–भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य, वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

30. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

31. क्रय समिति को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बतलाये अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने का अधिकार क्रय समिति के पास आरक्षित रखेगा।

32. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

33. प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद यदि कोई देय बकाया नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

34. ठेके से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होने पर उस विवाद पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा, जिससे ठेकेदार को मानना होगा। ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर विभाग को ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा। तथा शेष अवधि के लिये कार्य अन्य ठेकेदार से मूल ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर करवाया जावेगा। समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

35. संस्था में सफाई के कार्य का किसी भी दिन अवकाश नही रहेगा। सफाई की व्यवस्था के लिये अधीक्षक द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की ठेकेदार द्वारा पालना की जावेगीं।

36. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सफाई कर्मी को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा तथा जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी भुगतान प्रमाण पत्र देना होगा। यदि न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान करने की शिकायत प्राप्त होती है तो ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी।

37. निविदा प्रपत्र में आपूर्ति अवधि के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा। तथा सफल निविदादाता को अधीक्षक द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेश के अनुसार सफाई कार्य करना होगा। निर्धारित समय के विलम्ब पर निम्नानुसार परिनिर्धारित/क्षति देय होगी:–

अ विहित किसी भी स्थान की सफाई में एक घन्टे के विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 2.5 प्रतिशत

ब किसी भी स्थान की सफाई में दो घन्टे के विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 5 प्रतिशत

स किसी भी स्थान की सफाई में तीन घन्टे के विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 7.5 प्रतिशत

द किसी भी स्थान की सफाई में चार घन्टे के विलम्ब के लिये उस दिन की देय राशि का 10 प्रतिशत

38. सफाई कार्य की व्यवस्था 24 घन्टे के लिये लगातार बनाये रखना होगा। इस हेतु संबंधित ठेकेदार को 24 सफाई कर्मियों का उचित नियोजन तीन पारियो में 24 घन्टे के लिये करना आवश्यक होगा। महिला विंग में महिला सफाई कर्मी एवं पुरूष विंग में पुरूष कर्मियों से सफाई कार्य कराना होगा।

39. **i** ठेकेदार को संस्था भवन में पूर्ण स्वच्छता रखनी होगी।

ii ठेकेदार द्वारा भवन की समस्त सीढियों तथा रैलिंग की सफाई भी प्रतिदिन करानी होगी।

iii ठेकेदार द्वारा भवन के समस्त कमरों, पोर्च एवं पोर्च की समस्त की खिडकियों के शीशे, खिडकियों के बेस,शीशों के दरवाजे एवं अन्य समस्त दरवाजों एवं खिडकियों की सफाई प्रत्येक माह में दो बार करानी होगी। यह सफाई कार्य कार्यालय समय में ही करानी होगी।

iv ठेकेदार द्वारा छत पर स्थित पानी की टंकियों की धुलाई व सफाई साबुन/सर्फ के पानी से प्रत्येक माह में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार करानी होगी।

v ठेकेदार द्वारा भवन की छत की सफाई का कार्य भी माह में एक बार कराना होगा।

vi ठेकेदार द्वारा भवन में स्थापित वाटर कूलरों की टंकियों की सफाई व धुलाई प्रत्येक माह में एक बार करानी होगी।

vii ठेकेदार द्वारा समस्त कमरों में स्थित ट्यूब लाईट, फिक्सचर, पंखे, लाईटे इत्यादि की सफाई 3 माह में एक बार करनी होगी।

viii भवन के समस्त शौचालयों के सेनेटरी पाईप जी.आई.पाईप वाशबेसिनों के पाईप मूत्रालयों की टंकियों एवं समस्त सेनेटरी पाईपों एवं सीवरेज की देखभाल की जिम्मेदारी संवेदक की होगी यदि कोई सामान टूट फूट जाता है तो उसके लिये संवेदक का उतरदायित्व होगा। इस हेतु मशीन एवं सामग्री की व्यवस्था व भार संवेदक का होगा।

ix ठेकेदार द्वारा भवन की सफाई करने के पश्चात कूडा कडकट एवं रसोई से उत्पन्न वेस्ट कचरे को उचित स्थान पर उपयुक्त तरीके से नष्ट करने/बाहर उचित स्थान पर (नगर निगम के कचरा पात्र) में डालने की व्यवस्था करनी होगी।

x ठेकेदार द्वारा परिसर में पडे गद्‌दे/बिस्तर/पलंग/दरी/चटाई पर लगी मल मूत्र एवं आवासियों की सफाई भी करनी होगी।

xi परिसर में स्थित सम्पूर्ण गार्डन के पौधों व घास की सफाई आदि कार्य भी ठेकेदार फर्म को करने होगें।

40. **i** ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य में आईएसआई ऐगमार्क उत्तम क्वालिटी के सभी प्रकार के केमीकल्स,फर्श साफ करने का शेम्पू, फिनाइल,वाशिंग पाउडर, डिटोल, टॉयलेट क्लीनर, आदि प्रयोग में लिये जायेगें। अधीक्षक द्वारा किसी भी समय क्वालिटी एवं गुणवत्ता की जांच की जा सकती है।

    ii ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह की प्रथम तारीख को निम्नानुसार सफाई सामग्री कार्यालय स्टोर में जमा करवानी होगी–आई एसआई ऐगमार्क बंगाल फिनाइल 300 लीटर, डिटोल 40 लीटर, टॉयलेट क्लीनर 10 लीटर, वाशिंग पावडर 50 किलो, सोडा 1 किलो, हिट 10 बोतल 500 मी.ली. वाली, फर्श क्लीनर 30 लीटर, लिक्वीड हैण्डवाश 10 बोतल 250 मी.ली.वाली,सफाई कार्य में आने वाली सभी सामग्री एवं उपकरण यथा झाडू, फूल झाडू पोछा,वाईपर, कचरा पात्र,सण पोछा, सफाई ब्रश आदि संस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिमाह प्रथम तारीख को उपलब्ध करवाना होगा। अगर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह से यह सामान ठेकेदार द्वारा संस्था में जमा नही कराया गया तो संस्था द्वारा प्रतिदिन राशि रू 200 के हिसाब से बिल में से काट ली जायेगी।

41. आवासी के बीमार होने पर, अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी अस्पताल में सफाई कार्य करना, आदि सम्मिलित है।

42. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सफाई कर्मी अपराधी/नैतिक पतन के दोषी व्यक्ति नही होने चाहियें।

43. सफाई का कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या दुर्धटना हो जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिये मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार/उतरदायी नही होगा।

44. निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पायें जाने पर निरीक्षण विजिट में लिखे गये वृतान्त के आधार पर अथवा अधीक्षक की टिप्पणी करने के बाद प्रत्येक अवसर के लिये अधिकतम राशि रूपये 2000/–की कटौती की जावेगी।

45. फर्म/संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी को मजदूरी का भुगतान नियमानुसार करना होगा जो न्यूनतम मजदूरी से कम नही होगा। नियमानुसार देय वेतन पी.एफ., ई.एस. आई. आदि सुविधाये में संवेदक फर्म द्वारा देय होगा, जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। फर्म द्वारा उपरोक्त ई.एस.आई./पी.एफ. एवं न्यूनतम मजदूरी की सूची मय कर्मचारियों के हस्ताक्षर के प्रस्तुत करनी होगी। फर्म को अगले माह का भुगतान, गत माह के उपरोक्तानुसार भुगतान करने की रसीद/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। संवेदक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का सुनिश्चियन करना होगा। फर्म को न्यूनतम मजदूरी का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

46. ठेके की अवधि में किसी भी कारणवश सफाई कार्य बाधित होता है तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर संवेदक की जोखिम व लागत पर अन्य किसी ठेकेदार से कार्य करवा सकेगा। जिसकी अन्तर राशि मूल संवेदक की जोखिम व लागत पर अन्य किसी ठेकेदार को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।

47. संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व सफाई कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण मय वांछित दस्तावेजों के उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा। ठेकेदार द्वारा सुरक्षा कर्मचारी को उपस्थिति पंजिका में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बिना पहचान पत्र संस्था में प्रवेश नही दिया जायेगा।

48. संवेदक द्वारा निविदा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जॉब बेसिस पर सफाई कार्य व्यवस्था में लगाये जाने वाले सफाई कर्मियों की निवास/स्थाई पते का पूर्ण विवरण मय फोटो के कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। संबंधित लिपिक द्वारा प्रतिदिन जॉब बेसिस पर सफाई कार्य व्यवस्था के तहत ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मियों की संख्या/उपस्थिति अंकित की जायेगी। ताकि सफाई कार्य की प्रभावी रूप से मानिटरिगं की जा सके।

49. उपलब्ध करवाये जाने वाले सफाईकर्मी स्वस्थ एवं सफाई कार्य में प्रशिक्षित होने चाहिए।

50. प्रत्येक कार्मिक को राज्य/केन्द्र सरकार के नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी, ई.एस.आई., पी.एफ. इत्यादि सुविधाओं को देने का उत्तरदायित्त्व संवेदक फर्म की होगी। अतः तद्नुसार ही अपनी दरें प्रस्तुत करें।

51. फर्म को किए जाने वाले भुगतान में से नियमानुसार आयकर एवं अन्य कर यदि कोई हो, की कटोती की जवेगी।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

<u>निविदादाताओं द्वारा घोषणा</u>

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन सामानों/उपकरणों/सेवाओं के लिये निविदा दी है उनके लिये हम श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ....दिनांक.............................. है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता

परिशिष्ठ–अ

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली, जयपुर

तकनीकी बिड़(स्टेज–I)

विषयः जॉब बेसिस पर सफाई कार्य व्यवस्था जॉब बेसिस पर कराने के लिए निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता...

2. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर ....
3. निविदा दाता का ईमेल एड्रेसः– ....
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक– **01/2017–18** दिनांक
5. हम **अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, जामड़ोली, जयपुर** द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या **01/2017–18** दिनांक........................में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
6. **संलग्न प्रमाण पत्रो का विवरणः–**

क्र.सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ या नही	जारी होने की तिथि /वैद्यता अवधि/ बैंक का विवरण
1.	ई–टेण्डर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 400/– जमा कराने का पोस्टल आर्डर नं. /डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैकर चैक नम्बर.........दिनांक............राशि रूपये....................प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
2	ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रू. 500/– जमा कराने का पोस्टल आर्डर नं./डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैकर चैक नम्बर.........दिनांक..........राशि रूपये....................प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
3	सूचना में अंकित अमानत राशि राशि रू. 48000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैकर चैक नम्बर..........दिनांक...........राशि रूपये............. का विवरण		

4	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र		
5	वित्तीय क्षमता संबंधित दस्तावेज		
6	श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र		
7	सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र		
8	पेन कार्ड (आय कर)		
9	पी एफ पंजीयन प्रमाण पत्र		
10	ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र		

7. हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये है:-

1 ....

2 ....

3 ....

8. हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

9. निविदा शुल्क, ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक मूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह में जमा होने की स्थिति में ही ई-निविदा खोली जावेगी। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे तथा उक्त डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक की स्केन कॉपी ई- निविदा के साथ अपलोड करें।

हस्ताक्षर निविदादाता

नोट:-1.उपरोक्त सारणी में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत किये है अथवा नही उसके आगे हॉ या नही ,उसके जारी होने की तिथि/वैद्यता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसंके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

2. **निविदा भरने की प्रक्रिया:-**

(ए) परिशिष्ट "अ" तकनीकी बिड है तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक पृष्ठ डिजिटल हस्ताक्षर शुदा अपलोड करें।

(बी) परिशिष्ट "ब"प्राईस बिड है तकनीकी निविदा मे पाये गये योग्य निविदादाताओं की ही प्राईज बिड खोली जायेगी।

(सी) तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक पृथक फोल्डर बना कर अपलोड की जावें।

परिशिष्ठ–"ब"

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर
ई मेलः–mrh.sap@gmail.com

निविदा प्रपत्र–प्राईस बिड़ (स्टेज II)

1. विषयः सफाई कार्य व्यवस्था जॉब बेसिस पर कराने के लिये निविदा।
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता..
3. निविदादाता फर्म /संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर...
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक –01/2017–18 दिनांक.............................
5. निविदा शुल्क की राशि 400/–अक्षरे चार सौ मात्र नकद (रसीद संख्या/डी.डी./बैकर्स चैक नम्बर...........................दिनांक ....के द्वारा जमा करा दी गयी है।
6. हम अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 01/2017–18 दिनांक. ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है)मे दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. सफाई के कार्य बाबत हमारी दर निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कुल मासिक दर प्रति सफाई कर्मी (मय समस्त करों ई.एस.आई., पी.एफ. ,सर्विस टैक्स एवं आनुषंगिक प्रभारों के विवरण सहित) "अ"	मासिक दर "ब"	कुल योग	विवि
1.	सम्पूर्ण विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह एवं उसके परिसर की जॉब बेसिस पर सफाई कार्य व्यवस्था (मय सफाई सामग्री)	(प्रत्येक कार्मिक के लिये) पारिश्रमिक .... पी.एफ............................... ई.एस.आई.......................... सर्विस टैक्स.............................. सर्विस चार्जेज.............................. अन्य अनुषंगिक प्रभार........................... कुल राशि रूपये अंको में........................ शब्दो में..................................	सफाई सामग्री की कुल मासिक दर (शर्त संख्या 40(ii) के अनुसार) कुल रूपये............ .... अक्षरे	कॉलम "अ" एवं "ब" का कुल योग	सफाई कार्य 24 घण्टे किया जावेगा। अधीक्षक द्वारा निर्धारित मात्रा में महिला व पुरूष (सफाई कार्य में कुशल) सफाई कर्मी मैन पावर लगायी जायेगी।

8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर सफाई कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।
9. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज में कोई त्रुटि/असत्यता पाई जावेगी तो विभाग को निविदा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
10. संविदा मूल्य की 50 प्रतिशत तक अधिक राशि का कार्य आदेश निविदा शर्तो के अनुसार क्रय समिति के अधीन बढाया जा सकता है।
11. निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है, उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
   I. श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र।
   II. अनुभव प्रमाण पत्र।
   III. अर्नेस्टमनी।
   IV. सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र।
   V. आय कर विभाग द्वारा जारी पैन न. प्रमाण पत्र।
12. बयाना राशि रूपये 48000/—अक्षरे अड़तीस हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या....................................जो (बैंक का नाम).. ....पर आहरित किया गया है/ रसीद संख्या......................./ चालान संख्या........................और दिनांक .... रूपये ....संलग्न है।
13. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या ....दिनांक ....वैद्यता अवधि...................की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
14. आयकर स्थाई खाता संख्या..
15. सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या:...दिनांक.................................
16. अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)
   I. पी.एफ.प्रमाण पत्र।
   II. ई.एफ.आई. प्रमाण पत्र।
   III. अनुभव प्रमाण पत्र।
   IV.
   V.

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम